न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 40 / 2021

1 रामकुमार आयु 49 साल पुत्र गिरधारीलाल जाति गुर्जर निवासी मणकसास तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।

अपीलांट

बनाम

1 श्रीमती ग्यारसी देवी पूर्व स्त्री स्व. बाबुलाल वर्तमान स्त्री अशोक कुमार जाति चेजारा निवासी मणकसास तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू हाल निवास जटोला–22 गुड़गांव तहसील फरूखनगर हरियाणा।
2 सुनिल कुमार पुत्र अशोक कुमार तथाकथित पुत्र स्व. बाबुलाल जाति चेजारा निवासी जटोला गुड़गांव तहसील फरूखनगर हरियाणा।
3 सीमा पुत्री अशोक कुमार तथाकथित पुत्री स्व. बाबुलाल जाति चेजारा निवासी जटोला–22 गुड़गांव तहसील फरूखनगर हरियाणा।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 आरटीएक्ट 1955
अपील खिलाफ निर्णय दिनांक 19.04.2021 बअदालत
उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू राज.
पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र सिंह आरएएस मुकदमा
उनवानी रामकुमार बनाम ग्यारसी देवी वगै. मु.नं.27 / 2016
आरसीएमएस नम्बर 2016 / 00018 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत
धारा 212 आर.टी. एक्ट 1955

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उपस्थिति :

1. श्री राजेश पुनियां, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री उम्मेदराज सैनी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः– 13.8.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 27/2016 में पारित निर्णय दिनांक 19.04.2021 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि जमीन हाल खसरा नम्बर 463 रकबा 0.98 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2417/454 रकबा 0.22 हैक्टेयर सरहद राजस्व ग्राम मणकसास तहत तहसील उदयपुरवाटी में स्थित है। अपीलान्ट ने उक्त जमीन के बाबत विचारण न्यायालय के समक्ष एक वाद पत्र बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया जिसके साथ अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया। विचारण न्यायालय ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को दिनांक 19.04.2021 को खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु पर कोई विवेचन नहीं किया है। अपीलांट विवादित भूमि को जरिये इकरार कय कर काबिज काश्त है। विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का खारिज करने का दुसरा आधार यह लिया है कि अपीलान्ट विवादित जमीन का रिकार्डेड खातेदार नहीं है जहां किसी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

पक्षकार को जमीन पर सद्भाविक व हक सहित कब्जा हो वहां प्रथम दृष्टया मामले के लिए रिकार्डेड खातेदार होना कानूनन आवश्यक नहीं है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 व 3 ने विचारण न्यायायल के समक्ष अपीलान्ट के वाद पत्र से पहले एक वाद पत्र बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का उक्त जमीन के बाबत रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 को पक्षकार बनाकर पेश किया जिसके साथ रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 व 3 ने एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मु.नं. 378/2015 उनवानी सुनिल बनाम ग्यारसी पेश किया। विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 व 3 का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मौका की यथास्थिति की हद तक गलत रूप से दिनांक 19.04.2021 को स्वीकार किया है। जबकि रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 व 3 स्व. बाबुलाल के वारिस नही है कानून से एक ही विवाद-विषय के बाबत एवं उन्ही पक्षकारों के बीच अगर दो प्रकरण है तो उनको एक साथ समेकित कर एक साथ निर्णय पारित करना चाहिए जबकि विचारण न्यायालय ने बिना एक साथ कन्सोलिडेट किए अलग–अलग निर्णय पारित करने में कानूनी गलती की है। अतः अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि ग्राम मणकसास पटवार हल्का मनकसास की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 463, 2417/454 कुल किता 2 कुल रकबा 1.20 हैक्टेयर की खातेदारी बाबुलाल पुत्र भूरा के नाम से दर्ज रिकार्ड है। बाबुलाल पुत्र भूरा की फौत हो चुकी है। बाबुलाल के फौत होने के बाद बाबुलाल की पत्नी ग्यारसी देवी ने पुनः विवाह कर लिया। आवेदक ने बाबुलाल की कब्जा काश्त एवं खातेदारी भूमि का राजस्व रिकार्ड अपने नाम से करवाने एवं प्रकरण में दावा का निस्तारण होने तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने के अनुतोष चाहा है। पत्रावली के अवलोकन से साबित है कि आवेदक उक्त वर्णित भूमि के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार नहीं है। आवेदक ने जिस इकरारनामा के आधार पर वाद व प्रार्थना पत्र पेश किया है वह पंजिकृत दस्तावेज नहीं है। बाबुलाल पुत्र भूरा के फौत होने के बाद उसके विधिक वारिसान के नाम से नामान्तकरण दर्ज किया जाना है तथा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनं)

नामान्तकरण दर्ज होने के पश्चात ही विधिक वारिसान को खातेदारी के हकहकुक अधिकार प्राप्त होते है। खातेदारी अधिकारी प्राप्त होने से पूर्व किया गया किसी भी प्रकार का इकरार कानूनन वेद्य नहीं है। बाबुलाल पुत्र भूरा की विरासत एवं उत्तराधिकारियों का निर्णय वाद में विधिवत सुनवाई के पश्चात होना है। आवेदक उक्त वर्णित भूमि के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार नहीं है इस कारण प्रकरण प्रथम दृष्टया आवेदक के पक्ष में नहीं है तथा सुविधा का संतुलन भी आवेदक के पक्ष में नहीं है, इस प्रकार अपूरणीय क्षति भी आवेदक को नही होगी। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय पारित कर कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरएलडब्ल्यू 2008 (2) आरजे (एससी) पेज 926, आरएलडब्ल्यू 2007(1) आरजे पेज 446, आरआरडी 1995 पेज 181, एआईआर 1990 एससी पेज 553, आरआरडी 2011 पेज 563, आरएलडब्ल्यू 2003(1) राज पेज 670, आरएलडब्ल्यू 2007(2) राज (एससी) पेज 988, आरएलडब्ल्यू 2008(2) राज (एससी) पेज 1101 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम मणकसास पटवार हल्का मनकसास की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 463, 2417/454 कुल किता 2 कुल रकबा 1.20 हैक्टेयर की खातेदारी बाबुलाल पुत्र भूरा के नाम से दर्ज रिकार्ड है। बाबुलाल पुत्र भूरा की फौत हो चुकी है। बाबुलाल के फौत होने के बाद बाबुलाल की पत्नी ग्यारसी देवी ने पुनः विवाह कर लिया। आवेदक ने बाबुलाल की कब्जा काश्त एवं खातेदारी भूमि का राजस्व रिकार्ड अपने नाम से करवाने एवं प्रकरण में दावा का निस्तारण होने तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने के अनुतोष चाहा है। पत्रावली के अवलोकन से साबित है कि आवेदक उक्त वर्णित भूमि के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार नहीं है। आवेदक ने जिस इकरारनामा के आधार पर वाद व प्रार्थना

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधि
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

पत्र पेश किया है वह पंजिकृत दस्तावेज नहीं है। बाबुलाल पुत्र भूरा के फौत होने के बाद उसके विधिक वारिसान के नाम से नामान्तकरण दर्ज किया जाना है तथा नामान्तकरण दर्ज होने के पश्चात ही विधिक वारिसान को खातेदारी के हकहकुक अधिकार प्राप्त होते है। खातेदारी अधिकारी प्राप्त होने से पूर्व किया गया किसी भी प्रकार का इकरार कानूनन वेद्य नहीं है। बाबुलाल पुत्र भूरा की विरासत एवं उत्तराधिकारियों का निर्णय वाद में विधिवत सुनवाई के पश्चात होना है। आवेदक उक्त वर्णित भूमि के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार नहीं है इस कारण प्रकरण प्रथम दृष्टया आवेदक के पक्ष में नहीं है तथा सुविधा का संतुलन भी आवेदक के पक्ष में नहीं है, इस प्रकार अपूरणीय क्षति भी आवेदक को नही होगी। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय पारित कर कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 13.8.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर